

न्यायालय:-अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
वैवाहिक प्र0क0 16/2017
संस्थित दिनांक 17-02-2017

सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी
 वार्ड क्रमांक 8 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
आवेदक

॥ वि रु द्ध ॥

श्रीमती सरोज उर्फ मनोज देवी पत्नी सुरेश कुमार,
 पुत्री अतिवलसिंह परमार, उम्र 32 वर्ष, निवासी
 हाल- ग्राम मुगलपुरा (अम्बेडकर नगर) मुरार,
 ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा-श्री प्रवीण गुप्ता अधि0. अनावेदिका द्वारा-श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अधि0

॥ नि र्ण य ॥

(आज दिनांक 01.09.2017 को घोषित किया गया)

01. आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 13.02.2017 को प्रस्तुत की गयी है।
02. उभय पक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 25.07.2017 न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में साथ रहना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिया जावे।
03. संक्षेप में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका का सारांश इस प्रकार है कि

आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिनांक 30.04.2006 को कबीर आश्रम ठाठीपुर सुरेश नगर ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद अनावेदिका शादी के समय से छोटी छोटी बातों पर विवाद करने लगी और कुछ समय पश्चात् उनके मध्य वैचारिक मद्भेद उत्पन्न हो गये और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरिया स्थापित हो गई और वर्तमान में दोनों दिनांक 15.03.2013 से से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अतः आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या आवेदक एवं अनावेदिका विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
-----	---

//सकारण निष्कर्ष//

05. आवेदक एवं अनावेदिका के याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रतिकूल होने लगा है और अब उनका एक साथ रहना संभव नहीं है और वल दिनांक 15.03.2013 से प्रथक प्रथक निवास कर रहे हैं। उनके मध्य भरणपोषण का कोई विवाद नहीं है। अतः सहमति के आधार पर उनके मध्य हुआ विवाह को विघटित कर दिया जावे।

06. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। उभय पक्ष अपने फैसले पर अडिक है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

07. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1	आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुआ विवाह दिनांक 30.04.2006 को विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदिका आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहेंगे।
2	उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- तक मान्य की जाती है।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)